क्रमांक 4970-3 जी: एस: 1-77/23097

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार के आयुक्त, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल दिनांक, चंडीगढ़, 26 अगस्त, 1977

बिषय: -- सरकारी कर्मचारियों के प्रति वेदन/अपीलों के निपटाने में धनावश्यक देरी। महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय की ओर आप का ध्यान दिलाऊं और कहूं कि राज्य सरकार के अ्थान में यह बात लाई है कि विभिन्न विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रतिवेदनों तथा अपीलों के निपटान में अनावश्यक देरी की जाती है जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी परेशान रहते हैं और खरकारी काम सुचारूं रूप से नहीं ही पाता। सरकार इस स्थित को गम्भीरता से देखती है। कृपया ऐसी अपीलों/प्रतिवेदनों का निपटान करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाए। इस बारे मासिक लिम्बत मामलों की सूचना सरकार के पत्न कमांक 1250-5ए: आर:-70, दिनांक 5-10-70 के अन्तर्गंत प्रस्तुत करते समय इन मामलों की विशेष रूप से समीक्षा की जाए।

2. कुपया इस पल की पावती भेजें।

भवदीय, हस्ता/-उपसचिव, सामान्य सेवाएं, कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति वित्तायुक्त, राजस्व तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लि भेजी जाती है।

- उनसे अनुरोध किया जाता है कि लम्बित प्रतिबेदनों/अपीलों के बीझ निपटान की अोर विशेष ध्या
 दिया जाए ।
 - 3. कृपया इस पत्न की पावती दें।

हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन, इते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा, हरियाणा के सभी प्रशासकीय सन्तिन ।

धमा: कर्माक 4970-3जी, एस. 1-77

दिनांक 26 अगस्त, 1977